न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2010/00034

1. श्रीमती सोहन बाई पत्नी स्व0 नारायण लाल जाति मीणा ।
2. भवानी शंकर पुत्र नारायण लाल जाति मीणा ।
3. बबलू पुत्र स्व0 नारायण लाल जाति मीणा ।
4. महेश पुत्र स्व0 नारायण लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बजरंग पुत्र स्व0 बालचन्द ।
2. जगदीश पुत्र स्व0 बालचन्द जाति बैरवा निवासीगण ग्राम धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी उपकारागृह रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. राज0 सरकार ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री सतीश कुमार शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 29.10.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2007 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 3 तहसीलदार रामगंजमण्डी ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धरनावद तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 892 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में देवीलाल वल्द नन्दा मीणा के नाम दर्ज है । खातेदार देवीलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.04.72 को खसरा नम्बर 891 की 03 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 892 की 01 बीघा 14 बिस्वा बालचन्द वल्द देवीलाल जाति मेहर को बेचान कर दी गई। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 138 दर्ज किया गया । विक्रेता देवीलाल

की जाति मीना थी जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आती है तथा क्रेता बालचन्द की जाति मेहर है जो कि अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है । अनुसूचित जनजाति के खातेदार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) के उल्लंघन में होने से उक्त विक्रय अवैध व शून्य है ।

3. अतः वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.10.2007 के द्वारा तहसीलदार, रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2007 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को साक्ष्य का मौका प्रदान नहीं कर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट के लडके का एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण इलाज में काफी समय लग जाने के कारण तथा दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो गयी थी इस कारण अपीलान्ट अपील समय पर पेश नहीं कर सका । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम धरनावद तहसील रामगंजमण्डी में आराजी खसरा नम्बर 891 की रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 892 रकबा 01 बीघा 14 बिस्व भूमि देवीलाल पुत्र नन्दा जाति मीना के नाम दर्ज थी । खातेदार देवीलाल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 30.04.1972 को बालचन्द पुत्र देवीलाल ने आराजी क्रय की और विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 138 बालचन्द के नाम दर्ज हो गयी । विक्रेता अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और क्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है । विक्रय धारा 42 (बी) के उल्लंघन में था। परीक्षण न्यायालय में एक दावा तहसीलदार के द्वारा अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था । बेचान धारा 42 (बी) के उल्लंघन में होने से उसको शून्य घोषित करना चाहिए था । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाधित है । अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विक्रय abinitio – Void है । इंतकाल भी गलत रूप से खोला गया है । परीक्षण न्यायालय ने आराजी को सिवायचक दर्ज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि विक्रय धारा 42 (बी) के उल्लंघन में किया गया है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से धारा 175 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम के दावे में आराजी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2007 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में तहसीलदार रामगंजमण्डी के द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक दावा पेश किया गया है । दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2052—55 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी बालचन्द के खाते में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण संख्या 138 भी संलग्न है जिसमें विक्रय के आधार पर आराजी देवीलाल पुत्र नन्दा जाति मीना से बालचन्द पुत्र देवीलाल जाति मेहर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं । विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार देवीलाल के द्वारा वादग्रस्त आराजी का विक्रय बालचन्द पुत्र देवीलाल जाति मेहर के पक्ष में निष्पादित किया गया है । पत्रावली पर बालचन्द की ओर से पेश जवाब और नारायण एवं भागीरथ की ओर से पेश किया गया जवाब संलग्न हैं । इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार आराजी का विक्रय धारा 42 (बी) के उल्लंघन में किया गया है जो कि अवैध है । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे को स्वीकार कर आराजी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2007 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/10/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2010/00034

1. श्रीमती सोहन बाई पत्नी स्व0 नारायण लाल जाति मीणा ।
2. भवानी शंकर पुत्र नारायण लाल जाति मीणा ।
3. बबलू पुत्र स्व0 नारायण लाल जाति मीणा ।
4. महेश पुत्र स्व0 नारायण लाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बजरंग पुत्र स्व0 बालचन्द ।
2. जगदीश पुत्र स्व0 बालचन्द जाति बैरवा निवासीगण ग्राम धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल निवासी उपकारागृह रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. राज0 सरकार ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2007 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 06/दावा/2004

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र नन्दा जाति मीणा निवासी धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—

1/1. नारायण लाल पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

1/2. भागीरथ पुत्री देवीलाल जाति मीणा निवासी धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

1/3. धन्ना लाल पुत्र रतन लाल जाति मीणा निवासी धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

1/4. घनश्याम पुत्र रतन लाल जाति मीणा निवासी धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

1/5. शंकर लाल पुत्र रतनलाल जाति मीणा निवासी धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

1/6. फूलबाई पुत्र रतनलाल (मृतक पुत्र रतनलाल की पत्नी) जाति मीणा ।

1/7. फूलचन्द पुत्र भैरूलाल (मृतक पुत्र भैरूलाल का पुत्र) जाति मीणा निवासी गुमानपुरा

1/8. राधेश्याम पुत्र भैरूलाल (मृतक पुत्र भैरूलाल का पुत्र) जाति मीणा निवासी गुमानपुरा ।

1/9. दुलीचन्द पुत्र भैरूलाल (मृतक पुत्र भैरूलाल का पुत्र) जाति मीणा निवासी गुमानपुरा ।

1/10. नौदान बाई पुत्री भैरूलाल (मृतक पुत्र भैरूलाल की पुत्री) जाति मीणा निवासी गुमानपुरा ।

1/11. जानकी बाई पुत्री भैरूलाल (मृतक पुत्र भैरूलाल की पुत्री) जाति मीणा निवासी गुमानपुरा ।

1/12. मोहन बाई पुत्री भैरूलाल (मृतक पुत्र भैरूलाल की पुत्री) जाति मीणा निवासी गुमानपुरा ।

1/13. इन्द्रा बाई पुत्री भैरूलाल (मृतक पुत्र भैरूलाल की पुत्री) जाति मीणा निवासी गुमानपुरा ।

1/14. सरदार बाई बेवा भैरूलाल (मृतक पुत्र भैरूलाल की बेबा) जाति मीणा निवासी गुमानपुरा ।

2. बालचन्द पुत्र देवीलाल जाति मेहर निवासी धरनावद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2007 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

यह अपील तारीख 29.10.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट कम 03 की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.10.2007 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

29/10/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा